संख्या-154/2025/251के-2/22-3-2024-17(515)/24

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2025

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अमीर अहमद पुत्र श्री जमीर अहमद, निवासी जनपद-जे0पी0 नगर (अमरोहा) की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-30380/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-03.10.2024), दिनांक 08.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अमीर अहमद (बंदी संख्या-17321) पुत्र श्री जमीर अहमद, जो मोहल्ला-चौक, कस्बा व थाना-अमरोहा नगर, जनपद-जे0पी0 नगर (अमरोहा) वर्तमान पता-मोहल्ला-खदरा बड़ी पकडिया, थाना-हसनगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 14.12.2004 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से मारकर फखरूद्दीन की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-42/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452/34, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-03, जे0पी0नगर (अमरोहा) के आदेश दिनांक 12.01.2007 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05-02-2013 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 08 दिन की सजा तथा सपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है तथा रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु 37 वर्ष, 10 माह, 07 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमीर अहमद पुत्र जमीर अहमद को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अमीर अहमद (बंदी संख्या-17321) पुत्र श्री जमीर अहमद, निवासी जनपद-जे0पी0 नगर (अमरोहा) वर्तमान जनपद-लखनऊ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-251(1)के-2/22-3-2024 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, जे0पी0 नगर (अमरोहा)/लखनऊ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-154/2025/251के-2/22-3-2024-17(515)/24

दिनांक 14 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अमीर अहमद (बंदी संख्या-17321) पुत्र श्री जमीर अहमद, जो मोहल्ला-चौक, कस्बा व थाना-अमरोहा नगर, जनपद-जे0पी0 नगर (अमरोहा) वर्तमान पता-मोहल्ला-खदरा बड़ी पकडिया, थाना-हसनगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 14.12.2004 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से मारकर फखरूद्दीन की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-42/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452/34, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-03, जे0पी0नगर (अमरोहा) के आदेश दिनांक 12.01.2007 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05-02-2013 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 08 दिन की सजा तथा सपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है तथा रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु 37 वर्ष, 10 माह, 07 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमीर अहमद पुत्र जमीर अहमद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in